प्रेषक, -

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
(प्रतापगढ़ एवं गौतमबुद्धनगर को छोड़कर)

पत्रांक :: 2261/वि0का0/2010–11 लखनऊ :: दिनांक :: 11 अगस्त–2010

विषय **वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना(एसजीएसवाई) के अन्तर्गत सामान्य मद अनुदान संख्या–13 से सम्बन्धित राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बंध में।**

महोदय,

शासनादेश सं0–1567/38–6–2010–76एसजीएसवाई/2009टीसी– I, दिनांक 10–08–2010 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुदान संख्या–13 (सामान्य मद) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 7400.00 लाख (रू0 चौहत्तर करोड़ मात्र) में से भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष मैंचिंग राज्यांश के रूप में रू0 1633.40 लाख (रू0 सोलह करोड़ तैंतीस लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि जनपदों को अवमुक्त करने हेतु आयुक्त, ग्राम्य विकास के निस्तारण पर रखी गयी है।

2. योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा जनपदों को अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश के रूप में अनुदान संख्या–13, सामान्य मद के अन्तर्गत शासन द्वारा स्वीकृत उक्त धनराशि रू0 1633.40 लाख (रू0 सोलह करोड़ तैंतीस लाख चालीस हजार मात्र) संलग्न विवरण के कालम 3 के अनुसार आपको इस प्रतिबन्ध के साथ आबंटित की जा रही है कि धनराशि का आहरण भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा ।

3. स्वीकृत धनराशि का आहरण केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

4. धनराशि के आहरण एवं व्यय में संलग्न शासनादेश में निर्धारित शर्तो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. आवंटित धनराशि में से वांछित धनराशि हेतु मुख्य विकास अधिकारी द्वारा औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर मॉग की ग यी धनराशि मुख्य विकास अधिकारी को अवमुक्त की जायेगी। राज्यांश का आवंटन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग अंश की सीमा तक ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाय एवं धनराशि का व्यय एस0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप ही किया जाये। धनराशि के आहरण एवं वितरण के लिए सम्बन्धित जिलों के आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है तो उसकी सूचना आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं उ0प्र0 शासन को भेजी जाय।

6. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–"2501–ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम–01–समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाए–0108– स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना(जिला योजना) (के075/रा025–रा0)–27–सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

7. योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में सामान्य मद अनुदान संख्या–13 में आपके जनपद को अब तक आवंटित की गयी धनराशि का प्रगामी योग संलग्न विवरण के कालम–4 में दर्शाया गया है।

8. जारी किये गये आदेशों की प्रतियॉ भारत सरकार, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद,, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, ग्राम्य विकास अनुभाग–6 तथा इस कार्यालय एवं अन्य सम्बन्धित को पृष्ठांकित की जाय।

9. केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश की अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित करते हुये इसकी एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

10. उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर (आयोजनागत) के पृष्ठ सं0 174 पर कर ली गई है।

भवदीय,

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

11\8

(संजीव कुमार)
आयुक्त
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक :: 2261 /वि0का0/2010–11 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. सम्बन्धित जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. सम्बन्धित जनपदों के परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
8. वित्त (व्यय– नियंत्रण) अनुभाग–2/वित्त(आय व्ययक) अनुभाग–2।
9. राज्य योजना आयोग–1/2 उ0प्र0 शासन।
10. संयुक्त सचिव ग्राम्य विकास अनुभाग–6 उ0प्र0 शासन को उनके पत्र सं0–1567/38–6–2010–76 एसजीएसवाई/2009 टीसी–I, दिनांक 10.08.2010 के संदर्भ में।
11. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
12. सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13. उप सचिव (एस0जी0एस0वाई0), भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक 2261/वि0का0/2010–11 दिनांक : 11 अगस्त, 2010 का संलग्नक

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2010–11 के लिए अनुदान
सं0–13 सामान्य मद में राज्यांश की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	जनपद	अवमुक्त की जा रही धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
1	MEERUT	3.41	8.32
2	GHAZIABAD	3.76	8.89
3	BULANDSHR	8.43	19.46
4	BAGPAT	2.21	5.06
5	SAHARANPUR	18.33	34.95
6	MUZ . NAGAR	10.57	24.76
7	MORADABAD	19.61	33.43
8	BIJNOR	18.94	39.74
9	RAMPUR	17.08	35.07
10	J B F NAGAR	10.89	23.97
11	BAREILLY	27.36	64.84
12	BADAUN	29.50	59.01
13	SHAHJAHANPUR	30.52	65.30
14	PILIBHIT	21.44	40.63
15	AGRA	12.09	30.35
16	FIROZABAD	7.89	17.32
17	MAINPURI	19.46	50.68
18	MATHURA	7.25	15.23
19	ALIGARH	10.34	20.91
20	ETAH	8.05	25.05
21	K.RAM NAGAR	6.41	14.68
22	HATHRAS	6.61	15.74
23	JHANSI	12.47	30.63
24	JALAUN	18.93	46.74
25	LALITPUR	9.56	23.52
26	BANDA	18.47	50.29
27	HAMIRPUR	13.98	34.43
28	MAHOBA	6.73	15.70
29	CHITRAKOOT	15.18	32.64
30	ALLAHABAD	47.93	113.13
31	FATEHPUR	22.23	59.51
32	KAUSHAMBHI	25.94	63.62
33	KANPUR NAGAR	25.40	55.91
34	KANPUR DEHAT	31.62	78.22
35	ETAWAH	19.93	43.60
36	FURRUKHABAD	16.93	40.72
37	KANNAUJ	13.93	31.71
38	ORRIYA	16.55	42.75
39	VARANASI	16.53	38.50

share

पत्रांक 2261/वि0का0/2010-11 दिनांक : 11 अगस्त, 2010 का संलग्नक

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 के लिए अनुदान
संo-13 सामान्य मद में राज्यांश की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	जनपद	अवमुक्त की जा रही धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
40	GHAZIPUR	37.29	91.59
41	JAUNPUR	38.65	94.81
42	CHANDAULI	27.32	56.54
43	MIRZAPUR	37.26	90.87
44	SONBHADRA	11.96	69.19
45	SANT R. NAGAR	9.60	18.48
46	LUCKNOW	23.37	57.40
47	SITAPUR	60.70	125.47
48	UNNAO	45.34	121.93
49	HARDOI	31.00	120.35
50	LAKHIMPUR KHERI	53.69	114.30
51	RAEBAREILLY	32.19	112.94
52	GORAKHPUR	34.77	88.14
53	DEORIA	21.28	47.19
54	KUSHINAGAR	50.92	119.58
55	MAHRAJGANJ	22.15	42.35
56	BASTI	28.53	71.03
57	SIDHART NAGAR	27.57	64.00
58	SANT K NAGAR	24.86	58.92
59	AZAMGARH	40.92	91.08
60	MAU	19.76	49.72
61	BALLIA	29.50	78.09
62	FAIZABAD	24.74	59.82
63	BARABANKI	55.54	113.15
64	SULTANPUR	52.34	127.48
65	AMBEDKAR NGR	35.95	82.71
66	GONDA	38.13	94.83
67	BAHRAICH	52.24	132.86
68	BALRAMPUR	16.47	40.14
69	SHRAVASTI	16.90	33.70
State Total ::		1633.40	

(रू0 सोलह करोड़ तैंतीस लाख चालीस हजार मात्र)

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

share

संख्या–1567/38–6–2010–76एसजीएसवाई/2009टीसी–।

11 8/10

प्रेषक,

सीताराम यादव,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 10 अगस्त, 2010

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत सामान्य मद अनुदान संख्या–13 से संबंधित धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– 1871/वि.कार्य/2010–11 दिनांक 22 जून, 2010 एवं पत्र संख्या–1986/वि.का./2010–11 दिनांक 05 जुलाई, 2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में अवमुक्त की गयी केन्द्रांश की धनराशि रू.125.40 करोड़ एवं रू.83.6037 करोड के सापेक्ष अनुदान संख्या–13 सामान्य मद में देय राज्यांश की धनराशि क्रमशः रू.20.90 करोड़ एवं रू.13.9340 करोड़ अर्थात कुल रू.34.8340 करोड़ देय होती है। अनुदान संख्या–13 सामान्य मद में शासनादेश संख्या–915/38–6–2010–76एसजीएसवाई/2009 टीसी–। दिनांक 21 अप्रैल, 2010 द्वारा रू.18.50 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी है। अतः भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष देय राज्यांश की कुल धनराशि रू.34.8340 करोड में से अवशेष धनराशि रू.16.3340 करोड़ (रूपये सोलह करोड़ तैंतीस लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2010–11 में प्रावधानित रू.7400.00 लाख के सापेक्ष स्वीकृत कर आयुक्त, ग्राम्य

विकास, उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण केन्द्रांश प्राप्ति के सापेक्ष आवश्यक राज्यांश की सीमा तक किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं धनराशि का व्यय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण व वितरण के लिये जनपदों के संबंधित अधिकारी यथास्थिति पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है, तो इसकी सूचना तत्काल आयुक्त ग्राम्य विकास उ.प्र., लखनऊ को प्राप्त करायी जायेगी।

(2) वित्तीय वर्ष 2010–11 में अवमुक्त की जा रही राज्यांश की धनराशि रू.16.3340 करोड़ (रूपये सोलह करोड़ तैंतीस लाख चालीस हजार मात्र) में से, प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष ही जनपदों को तत्काल उपलब्ध करायी जाये, जिससे जिलाधिकारी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश अवमुक्त कर सकें। धनराशि का आहरण जनपदों द्वारा निर्धारित परिव्यय की सीमा के भीतर ही किया जायेगा।

(3) केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे भारत सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में धनराशि की कटौती न की जा सके। वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि समर्पित कर दी जायेगी।

(4) यह धनराशि आहरित/व्यय करने से पूर्व आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि योजनान्तर्गत निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया गया है और उससे विचलन न हो।

(5) आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा सुसंगत नियमों/आदेशों तथा वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951/दस–2010–231/2010 दिनांक 26 मार्च, 2010 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय व्ययक अनुदान संख्या–13 के अंतर्गत स्वीकृत की जाने वाली धनराशि लेखा शीर्षक

"2501–ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम–01–समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0108–स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (जिला योजना) (के.75/रा. 25–रा.)–27–सब्सिडी" के नामे डाला जायगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–ई–2–461/दस–2010 दिनांक 06 अगस्त, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव।

संख्या–1567(1)/38–6–2010–76एसजीएसवाई/2009टीसी–I, तददिनांक

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ.प्र., इलाहाबाद।
2. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ.प्र.
4. अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास विभाग, उ.प्र., लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2
6. ग्राम्य विकास अनुभाग–3/ नियोजन अनुभाग–3
7. राज्य योजना आयोग–1/2, नियोजन अनुभाग–3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम सेवक)
अनुसचिव।